न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

मईजलास पीठासीन अधिकारीः– श्री सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 15/14 इजराय **दायर दिनांक 14.11.2017**

GCMS No. 2014/00088 **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

रामा पिता हुरजी मीणा निवासी आसैला फला

प्रार्थी

–: बनाम :–

काला पिता धुला वगेराह निवासी आसेला तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री भंवरलाल पण्ड्या,अधिवक्ता – प्रार्थी

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदने अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 30.08.2010 के कम में इजराय बाबत।

–:निर्णयः–

दिनांक 10.09.2025

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के प्रकरण संख्या 381/2003 के अपील कार्यवाही में हुये निर्णय के अनुसार कियानवयन करने हेतु तहसीलदार डूंगरपुर को कार्यवाही हेतु कमीश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट हेतु इस न्यायालय में दिनांक 03.11.2014 को प्रार्थना श्री रामा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे इजराय दर्ज रजिस्टर किया जाकर माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के प्रकरण संख्या 38/2003 के अपील की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर तहसीलदार से कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा लिखा गया।

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के प्रकरण संख्या 381/2003 के अपील कार्यवाही में हुये निर्णय के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.11.2000 को निरस्त करते हुए पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड हुई जिसमें तहसीलदार को कमीश्नर नियुक्त किया गया जाकर मौकें पर जाकर उभयपक्ष एवं मौतबीरान के समक्ष निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर 2 माह में अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें जिसमें पर्चा मौका बनाकर नजरी नक्शा बनाकर संलग्न करें । मौके पर पेड कृषि जिन्स का उल्लेख करते हुये यह बतावे कि अपीलार्थी या रेस्पोडेंट में से किसका कितनी भूमि पर कब्जा है। भूमि जमाबंदी में बिलानाम है या नही भूमि वन विभाग के कब्जे में हो या खाते में हो तो उसका भी उल्लेख करें 01.07.1980 से पूर्व का प्रमाणित हो तो पत्रावली बनाकर वन भूमि नियमन कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे एवं यदि भूमि बिलानाम हो एवं मौके पर कृषि कब्जा हो तो नियमन आवंटन हेतु पत्रावली तैयार कर भूमि आवंटन सलाहकार समिति की क्षेत्र में होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत करें। जैसी भी स्थिति हो अधिनस्थ न्यायालय को वस्तुत स्थिति से अवगत कराया जावे। एवं अधिनस्थ न्यायालय नये सिरे से निर्णय पारित करें।

पत्रावली का अवलोकन करने पर दिनांक 29.06.2018 को पर्चा मौका रिपोर्ट पत्रावली पर है जिसमें पटवारी हल्का हिराता द्वारा मौजा बईयोडा का राजस्व रिकॉर्ड के साथ ग्राम के मौतबिरान के

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

रामा पिता हुरजी मीणा बनाम काला पिता धुला मीणा के निर्णयानुसार डिक्री की पालना में बईयोडा के आराजी नम्बर 2/21 रकबा 5 बिघा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर अंकित नही है किन्तु मौजा बईयोडा के खसरा नम्बर 21 रकबा 4 बिघा बिलानाम मगरी दर्ज रिकॉर्ड है तथा इस ग्राम के मूल नम्बर 21 में वन विभाग के नाम आवंटन होने से आराजी नम्बर 586/21 रकबा 19 बिघा दस बिस्वा किस्म मगरी में खातेदार वन विभाग वन खण्ड बईयोडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर पक्षकारों की एवं ग्राम के मौतबिरानों की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौजा बईयोडा के आराजी नम्बर 21 रकबा 8 बीघा मगरी बिलानाम भूमि 1 बिघा भूमि पर कब्जा अप्रार्थी प्रकाश पिता कालिया मीणा का पाया जाने रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।

प्रार्थी श्री रामा पिता हुरजी मीणा आराजी नम्बर 586/21 रकबा 19 बिघा एक बिस्सा मगरी वन विभाग की भूमि पर करीबन 4–5 बिघा भूमि पर कब्जा होना पाया गया एवं मौके पर बताया गया कि श्री रामा पिता हुरजी का करीब 15–20 वर्षो से मकान बना हुआ जिसमें वह रहते है । उक्त मकान बिलानाम व वन विभाग के खाते की भूमि पर पुराने पेड नही होकर झाडिया स्थित है। उक्त विवाद सरकार बिलानाम व वन विभाग की भूमि को लेकर पुराना विवाद है। प्रार्थी श्री रामा पिता हुरजी का खसरा नम्बर 21 में भी कुछ भाग पर कब्जा पाया गया। श्री रामा पिता हुरजी द्वारा वन विभाग एवं बिलानाम भूमि के सम्बन्ध में नाजायत कब्जे की पैनाल्टि भरी गई है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर अधिवक्ता को सुना गया।

चूँकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार इसके लिए अपीलान्ट को चाहिए कि यदि वह उक्त भूमि पर निर्मित मकान को नियमन कराने की पात्रता रखता हो तो भूमि जमाबंदी में बिलानाम है या नही भूमि वन विभाग के कब्जे में हो या खाते में हो तो उसका भी उल्लेख करें 01.07.1980 से पूर्व का प्रमाणित होतो पत्रावली बनाकर वन भूमि नियमन कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे एवं यदि भूमि बिलानाम हो एवं मौके पर कृषि कब्जा हो तो नियमन आवंटन हेतु पत्रावली तैयार कर भूमि आवंटन सलाहकार समिति की क्षेत्र में होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत करें। चूँकि भूमि वन विभाग की होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर